



उत्तराखण्ड सरकार

कार्यालय-महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड  
एवं

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद  
सूचना भवन, लाडपुर, रिंग रोड, (निकट वाणिज्य कर विभाग) देहरादून

दूरभाष : 0135-2662971 / फ़ैक्स : 2662334

**E-mail :** [ufdc2015@gmail.com](mailto:ufdc2015@gmail.com)

**Website :** [www.uttarainformation.gov.in](http://www.uttarainformation.gov.in)

पत्रांक : 02 / सू.एवंलो.सं.वि.(फि.वि.परि.)06 / 2024

दिनांक : 04 अप्रैल, 2025

### कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-126/XXII-02(8)2023, दिनांक 14 मार्च, 2024 के माध्यम से "उत्तराखण्ड फिल्म नीति-2024" लागू की गई है। उक्त नीति के प्रस्तर-6 में फिल्मों को अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है। उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रख्यापित की गई "उत्तराखण्ड फिल्म नीति-2024" में OTT प्लेटफार्म में रिलीज होने वाली फिल्मों और वेब सीरीजों को Subsidy (अनुदान) दिये जाने का प्राविधान किया गया है।

उक्त क्रम में फिल्म नीति-2024 के प्रस्तर-19 में गठित कार्यकारी मण्डल के अन्तर्गत प्रस्तर-19(6) में निहित प्राविधान के अनुसार सम्यकविचारोपरांत निम्नानुसार ओ.टी.टी. प्लेटफार्म को फिल्म अनुदान दिये जाने हेतु अधिसूचित किया जाता है :-

- 1- Netflix
- 2- Amazon Prime
- 3- Sony Liv
- 4- Zee5
- 5- JioHotstar

उपरोक्त किसी भी ओ.टी.टी. प्लेटफार्म पर फिल्म का प्रसारण होने की दशा में उत्तराखण्ड फिल्म नीति-2024 के प्रस्तर-06 में निहित प्राविधानों के अधीन परिषद द्वारा गठित तकनीकी एवं वित्तीय समिति द्वारा फिल्म अनुदान दिये जाने पर विचार करेगी।

( बंशीधर तिवारी )

महानिदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी